कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

126235138

क्र.पी.ए. / सामान्य / राहत आदेश / 2068

दिनांक 25 / 09 / 2018

प्रति,

01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र–5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110124
02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद–500463
03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरूणाचल प्रदेश, ईटा नगर–791111
04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी–781029
05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–II बिहार, पटना, वीर चंद पटेल पथ, पटना–800001
06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं–4 एवं 5, सेक्टर 33–बी, चंडीगढ़–160047
08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला–171003
09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्जीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर–190009
10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.–डोरंडा, राँची–834002
11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.–5329 / 5369 बैंगलोर–560001
12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.–5607, एम.जी. रोड, तिरूवनंथपुरम–695039
13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002
14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कार्वे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–II महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर–440001
16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल–795001
17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलॉंग–793001
18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरमा बिल्डिंग दिनथर, ऐजवल–796001
19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा–797001
20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर–751001
21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17–ई, चंडीगढ़–160017
22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर–302005
23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.–टाडोंग, गंगटॉक–737102
24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई–600018
25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.–कुंजाभवन, अगरतला–799006
26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरॉचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून–248171
27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद–211001
28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक–2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता–700001
29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद–500463

O/o. the Accountant General (A&E) INWARD 04 OCT 2018 No. आंध्रप्रदेश, हैदराबाद-4. Andhra Pradesh, Hyderabad-4.

विषय: दिनांक:01.01.2016 को अथवा पश्चात सेवानिवृत/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण की प्रतियों का मुद्रण।

संदर्भ: छ.ग. शासन,वित्त विभाग मंत्रालय,महानदी भवन,अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक:क्रमांक: 438/एफ-2017-04-03685/वि/नि/चार अटल नगर, दिनांक:01.09.2018

संदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति।

लेखा अधिकारी / पी.ए.

क्र.पी.ए. / सामान्य / राहत आदेश /

दिनांक: / 09 / 2018

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर,जिला-रायपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

लेखा अधिकारी / पी.ए.

Transferred to OG-TS for n.a

AAO/pm-AP

वित्त निर्देश 52/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 454/एफ 2017–04–03685/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 6.11.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण

राज्य शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016–04–03303 / वित्त / नियम/चार, दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा शासकीय सेवकों के वेतन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन/परिवार पेंशन हितलाभों का निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जाए :–

क. पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सांराशिकरण, अवकाश नगदीकरण का निर्धारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में किया जाए।

ख. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अंतर्गत देय मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाती है।

ग. पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि रूपये 7750/– (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) की जाती है। पेंशन/परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत किया जाता है।

3. पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए किया जाएगा।

4. उपर्युक्त पैरा 2 (ख) एवं (ग) के लिये सुसंगत नियमों में संशोधन पृथक से किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/11/2017

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव